

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - 11 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/30/2012-आ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 04 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नागालैंड सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री गोविंद जायसवाल, आ.प्र.से. (नागालैंड:07) को सुश्री चन्दन चौधरी, आ.पु.से. (केरल:10) से विवाह के आधार, नागालैंड संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरित करती है।

(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)